

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- परलीका
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं० : 210 सन 2018

अनवान :-

1. मदन कुमार पुत्र मंगतुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. जसवन्त पुत्र मंगतुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मंगतुराम पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. सन्तोष पुत्री मंगतुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. लिछमा पुत्री मंगतुराम जाति जाट साकिन परलका तहसील नोहर।
4. सोरभ पुत्र बन्शीलाल जाति जाट साकिन पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
5. मनोज पुत्री बन्शीलाल जाति जाट साकिन पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 17.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 18 एनटीआर के प0न0 353/422(53) किला न0 1/.228 ,3/.2280 ,4/.2280 ,5/.2280 ,6 ता 15/2.5300 ,प0न0 354/422(54) किला न0 1/.2280 ,2/0.2280 ,3/3 की 0.1010हैक् 4/.2280 ,5/0.1900 ,6/0.215 ,7 ता 14/2.0240 ,15/0.2150 ,प0न0 0 मु0न0 70/16 किला न0 0/2 की 0.2250हैक् गै0मु0 खाला प0न0 0 मु0न0 71/11 किला न0 0 की 0.1140हैक् गै0मु0 रास्ता कुल 7.4380हैक् एवं चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 62/52 की कुल 3.0740हैक् भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज बालू पुत्र श्योदयाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने चक 18 एनटीआर की भूमि को अपने पास रख लिया है एवं वाद भूमि वादीगण को दे दी है इसलिये वाद भूमि चक 18 एनटीआर वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत - 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है व प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 62/52 की भूमि अपने पास रख ली है एवं वाद भूमि वादीगण को दे दी है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा बालूराम पुत्र श्योदयाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या

Spaidi


2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है जिसकी धोषणा की जा सकती है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 62/52 में रखी ली है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हकों का त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

1. प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 62/52 की कुल 3.0740 हैक् भूमि रहेगी।
2. वादी संख्या 1 के पास प0न0 353/422(53) किला न0 1/.2280 2/0.2280 ,3/.2280 ,4/.2280 ,5/.2280 ,6/1 की 0.2070 ,प0न0 354/422(54) किला न0 1/0.2280 ,2/.2280 ,3/3 की 0.1010 हैक् , 4/0.2280 ,5/0.1900 ,6/0.2150 ,7 ता 10/1.0120 हैक् प0न0 0 मु0न0 76/16 किला न0 0/2 की 0.2250 हैक् गै0मु0 खाला प0न0 0 मु0न0 71/11 किला न0 0/1 की 0.0760 हैक् गै0मु0 रास्ता कुल 3.8500 हैक् भूमि रहेगी।
3. वादी संख्या 2 के पास चक 18 एनटीआर के प0न0 353/422(53) किला न0 6/2 की 0.0460 , 7 ता 15/2.2770 हैक् प0न0 354/422(54) किला न0 11 ता 14/1.0120 हैक् 15/0.2150 ,प0न0 0 मु0न0 71/11 किला न0 0/2 की 0.0380 हैक् गै0मु0 रास्ता कुल 3.5880 हैक् भूमि रहेगी। रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 61/54 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।


शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट- परलीका

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- परलीका
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. मदन कुमार पुत्र मंगतुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. जसवन्त पुत्र मंगतुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मंगतुराम पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. सन्तोष पुत्री मंगतुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. लिछमा पुत्री मंगतुराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. सोरभ पुत्र बन्शीलाल जाति जाट साकिन पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
5. मनोज पुत्री बन्शीलाल जाति जाट साकिन पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 210 सन 2018 निर्णय दिनांक- 17.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

1. प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 62/52 की कुल 3.0740हैक् भूमि रहेगी।
2. वादी संख्या 1 के पास प0न0 353/422(53) किला न0 1/.2280 2/0.2280 ,3/.2280 ,4/.2280 ,5/.2280 ,6/1 की 0.2070 ,प0न0 354/422(54) किला न0 1/0.2280 ,2/.2280 ,3/3 की 0.1010हैक् , 4/0.2280 ,5/0.1900 ,6/0.2150 ,7 ता 10/1.0120हैक् प0न0 0 मु0न0 76/16 किला न0 0/2 की 0.2250हैक् गै0मु0 खाला प0न0 0 मु0न0 71/11 किला न0 0/1 की 0.0760हैक् गै0मु0 रास्ता कुल 3.8500हैक् भूमि रहेगी।
3. वादी संख्या 2 के पास चक 18 एनटीआर के प0न0 353/422(53) किला न0 6/2 की 0.0460 , 7 ता 15/2.2770हैक् प0न0 354/422(54) किला न0 11 ता 14/1.0120हैक् 15/0.2150 ,प0न0 0 मु0न0 71/11 किला न0 0/2 की 0.0380हैक् गै0मु0 रास्ता कुल 3.5880हैक् भूमि रहेगी । रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 61/54 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट- परलीका